हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

की

अष्टम बोर्ड बैठक

हेतु

कार्य सूची

दिनांक 12.8.2002

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे

: स्थान :

कैम्प कार्यालय, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ

हापुड-पिलखुवा विकास प्रधिकरण की अष्टम बोर्ड बैठक

दिनांक 12.8.2002 की विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ट संख्या
1.	प्राधिकरण की गत (सप्तम) बोर्ड बैठक दिनांक 6-8-2002 की पुष्टि	
2.	हापुड-पिलखुवा प्रधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 6-8-2002 की अनुपालन आख्या	
3.	प्रीत विहार आवासीय योजना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भू-अर्जन की दरो के सम्बंध मे बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव	
4.	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	

मद सं.-1

प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 6-8-2002 की कार्यवाही की पुष्टि

प्रस्ताव -

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 6-8-2002 के कार्यवृत्त की प्रतियां सभी उपस्थित सदस्यों को प्रेषित की गयी है। भेजे गये कार्यवृत्त के सम्बंध मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। अतः प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि होती है। दिनांक 6-8-2002 का कार्यवृत्त पुनः बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक

दिनांक 6.82002 का कार्यवृत्त

दिनांक 6.8.2002 को आयुक्त मेरठ मण्डल एवं अध्यक्ष हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में, सभा कक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में बैठक संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1.	श्री एन.एस. रवि	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री मुक्तेश मोहन मिश्र	उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	उपाध्यक्ष
3.	श्री संतोष कुमार	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ (राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
4.	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव	अपरजिलाधिकारी - (भूमि-अध्याप्ति) गाजियाबाद (जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
5.	इं. वी.के. अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
6.	इं. राजेश निगम	सहायक अभियन्ता - लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 (प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य

विशेष आमंत्रित व अन्य उपस्थिति :-

1.	श्री विशाल मांगलिक	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, (उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त कन्करेंट आडीटर मै. सचदेवा एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित
2.	श्री श्याम सिंह यादव	सचिव, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	अन्य उपस्थिति
3.	श्री यशपाल सिंह	वास्तुविद एवं नगर नियोजक गा.वि.प्रा. (हा.पि.वि.प्रा. के सलाहकार के रूप में)	,, ,,
5.	इं. राधेश्याम शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	,,
6.	श्री संतोष कुमार कौशिक	सहायक लेखकाधिकारी, गा.वि.प्रा., गाजियाबाद (वित्त नियंत्रक, गा.वि.प्रा./सलाहकार हा.पि.वि.प्रा. के प्रतिनिधि के रूप में)	,,
7.	इं. जहीरूद्दीन	सहायक अभियन्ता (मु.), हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	,,

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

वैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार है :

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की गत (षष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002) की कार्यवाही की पुष्टि।	प्राधिकरण की गत (षष्टम) बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.02 सभागार, मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय पुनः पूर्ण बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु, अवलोकनार्थ रखे गये। इस पर कोई आपत्ति किसी सदस्य द्वारा इंगित नहीं की गई। अतः षष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002 में लिये गये निर्णय की पुष्टि हुई।
2	हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की षष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002 मद संख्या 2 के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में अनुपालन आख्या।	प्राधिकरण की षष्टम बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के गठन से अब तक हुई समस्त बोर्ड बैठकों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई। जिस पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि :- पुरानी परिपाटी को छोड़ते हुए भविष्य में बोर्ड के समक्ष समस्त तथ्य रखे जायें तथा

अनुपालन आख्या स्पष्ट होनी चाहिये। निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की द्वितीय बोर्ड की मद संख्या 8 तथा चतुर्थ बोर्ड बैठक की मद संख्या 27 की विस्तृत अनुपालन आख्या इस बैठक के कार्यवृत्त के साथ ही प्रस्तुत की जाये।

निर्देशानुपालन में बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 31.10.98 की मद संख्या 8 तथा बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 17.10.2000 की मद संख्या 27 की पुनरीक्षण अनुपालन आख्या विस्तृत विवरण के साथ पुनः निम्नानुसार प्रस्तुत है।

i. बोर्ड बैठक दिनांक 31.10.98 की मद संख्या 8 की पुनरीक्षित अनुपालन आख्या :-

विकास क्षेत्र घोषित होने से पूर्व एवं विनियमित क्षेत्र समाप्त होने की तिथि (21.11.96 से 17.3.98) के मध्य निर्मित / निर्माणाधीन औद्योगिक इकाईयों से विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध

में प्राधिकरण द्वारा प्रचारित किया गया कि इस तरह के जो भी प्रकरण हैं, वे अपनी औद्योगिक ईकाइयों के मानचित्र साक्ष्य सहित आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 30.11.98 तक जमा करायें। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी मानचित्र प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा औद्योगिक इकाईयों में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने पर धारा 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

ii. बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2000 की मद संख्या 27 की पुनरीक्षित अनुपालन आख्या :-

अवैध निर्माण को शमनित करने में सर्किल रेट को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया था। ताकि उसके अनुसार शमन शुल्क की गणना की जा सके। बोर्ड के

निर्णय के उपरान्त निर्णयानुसार कार्यवाही कर अवैध निर्माण को शमनित किया गया।

चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2000 के मद संख्या 26 की अनुपालन आख्या का परीक्षण किया गया तथा निर्देशित किया गया कि भूअर्जन के पश्चात प्राधिकरण अपनी निर्धारित दरों पर भूखण्ड देने हेतु अधिकृत है किन्तु सेन्चुरी लेमीनेटिंग स्वयं अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि नहीं खरीद सकता तथा अब तक जो कार्यवाही हो चुकी है। इसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। सेंचुरी लेमीनेटिंग को आगे की भूमि खरीदने की अनुमति न दी जाये। इसी प्रकार पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 27.6.2001 के अतिरिक्त मद संख्या 1 के निर्णय के भाग संख्या 3 को भी निरस्त किया गया।

3	मैनेजमेंट ऑडीटर्स की रिपोर्ट के संबंध में	उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मैनेजमेंट रिपोर्ट अभी इसी माह प्राप्त हुई है तथा उस पर अभी सी.ए. से चर्चा नहीं हो सकी है। अतः प्रस्ताव स्थगित किया गया।
4.	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पांच योजनाओं की प्रगति।	प्रीत विहार व फल सब्जी मण्डी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लिए अभी धनराशि की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राप्त धनराशि को सरैण्डर कर दिया जाये। जब आवश्यकता होगी तब पुनः ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अभी अनावश्यक रूप से ब्याज पड़ रहा है एवं ध नराशि प्राधिकरण को मिली नहीं है पैसा सरकार के खाते में ही रहा है। अतः ब्याज का भुगतान प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाना चाहिये। अतः तदानुसार शासन से अनुरोध किया जाये। फल सब्जी मण्डी का नामकरण प्रीत विहार फेज-2 के नाम से किया जाये।
5	प्रीत विहार आवासीय योजना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भू अर्जन की दरों के	बोर्ड द्वारा इस योजना के लिए प्राधिकरण तथा काश्तकारों के

सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव

बीच जो वार्ताएं हुई हैं उनका संज्ञान लिया गया। शासनादेश द्वारा गठित समिति के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार अतिशीघ्र कराते हुए तीन दिन में अर्थात् दिनांक 9.8.2002 तक आयुक्त के अनुमोदन हेतु आख्या प्रस्तुत की जाये एवं तदोपरान्त प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक पुनः दिनांक 12.8.2002 को आयोजित की जाये। वार्ताओं के कार्यवृत्त पर संज्ञान देते हुए यह निर्णय भी दिये गये कि गांव के आस-पास मात्र उतने स्थल को जिस पर रिहायशी भवन बना है तथा जिसका उपयोग रिहायशी भाग के रूप में हो रहा हो मात्र उतने स्थल को ही अधिग्रहण से मुक्त रखने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये। अन्य किसी भाग को अर्जन से मुक्त नही किया जाये। जैसे किसी ने जगह छोड़ने के उद्देश्य से अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से कोई निर्माण किया है तो

		अधिग्रहण से मुक्त न किया जाये।
6	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को इन्फ्रास्ट्रक्चर एकाउन्ट खोले जाने से 31.3.2000 तक और मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में	खाता खोल लिया जाये तथा उसमें कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि ही जमा करायी जाये तथा शासन को तदानुसार सूचित करते हुए शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाय।
7	दिनांक 31.3.2002 के बाद निस्तारित होने वाले समस्त शमन एवं प्रस्तावित मानचित्र पर गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में लिये जा रहे सुदृढ़ीकरण शुल्क/विकास शुल्क, अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क पर 10 प्रतिशत चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
8	विकास प्राधिकरण एवं आवास-विकास परिषद की परिसम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
9	शासन द्वारा प्राप्त जोनिंग रेगुलेशन के अंगीकरण हेतु प्रस्ताव ।	अनुमोदित किया गया।
10	उपाध्यक्ष निवास हेतु लिये गये भवन के किराये भुगतान के सम्बन्ध में ।	दिनांक 1.4.2002 से यह सुविधा इस शर्त के साथ अनुमन्य है कि एच.आर.ए. देय नहीं होगा एवं 1.4.2002 से मूल वेतन का 10 प्रतिशत की कटौती भी की जायेगी।
11	श्री श्याम सिंह यादव सचिव को उनके बच्चों की चिकित्सा पर हुये व्यय के सम्बन्ध में।	शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।
12	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के

पूर्व सहायक अभियन्ता श्री रमाकान्त अग्रवाल के चिकित्सा बिल सम्बन्धित प्रस्ताव रखा गया इस पर भी निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये।

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(मुक्तेश मोहन मिश्र)
उपाध्यक्ष
हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(एन.एस. रवि)
मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल/
अध्यक्ष, हा.पि.वि. प्राधिकरण

म.स.-2

प्राधिकरण की गत सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 6-8-2002 की अनुपालन आख्या

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 6.8.2002 को सम्पन्न हुई थी। प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है :-

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
2.	हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की षष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002 के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के गठन से षष्टम बोर्ड बैठक तक हुई समस्त बोर्ड बैठकों की अनुपालन।	पुरानी पटिपाटी को छोड़ते हुए भविष्य में बोर्ड के समक्ष समस्त तथ्य रखे जायें तथा अनुपालन आख्या स्पष्ट होनी चाहिए। निर्देशानुपालन में बोर्ड की द्वितीय बैठक चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक आख्या। 31.10.98 की मद संख्या तथा बोर्ड की चतुर्थ बैठक 17.10.2000 की मद संख्या 27 की पुनरीक्षित अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि द्वितीय बैठक की मद संख्या 8 के सम्बन्ध में कार्यवाही का विवरण अगली बोर्ड बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय। 17.10.2002 के मद संख्या 26 की अनुपालन आख्या का परीक्षण किया गया तथा निर्देशित किया गया कि भूअर्जन के पश्चात प्राधिकरण अपनी निर्धारित दरों पर भूखण्ड देने हेतु अधिकृत है। किन्तु सेन्चुरी लेमीनेटिंग स्वयं अधिगृहण हेतु प्रस्तावित भूमि नहीं खरीद सकता तथा अब तक जो कार्यवाही हो चुकी है इसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। सेन्चुरी लेमीनेटिंग को आगे की भूमि खरीदने की अनुमति नहीं दी जाय। इसी प्रकार पंचम बोर्ड बैठक 27.6.2001 के अतिरिक्त मद	अनुपालन किया जा चुका है। द्वितीय बोर्ड बैठक की मद संख्या 8 के संबंध में अनुपालन आख्या निम्नवत है : हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 21.11.96 को हुआ तथा इसमें 32 गांव तथा हापुड़ एवं पिलखुवा नगर पालिका को सम्मिलित किया गया। इसके पूर्व इस क्षेत्र में हापुड़ विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत 82 गांव आते थे। दिनांक 17.3.98 को शासन की अधि सूचना संख्या 311/9-अ-5-98- 997/डी.ए. 98 दिनांक 17.3.98 के द्वारा संशोधित विकास क्षेत्र की सीमायें घोषित की गई जिसे हापुड़ पिलखुवा विकास क्षेत्र में 32 गांव से बढ़ाकर 50 गांव को घोषित किया गया।

संख्या 1 के निर्णय के भाग संख्या 3 को भी निरस्त किया गया।

इन दोनों सूचनाओं के अंतराल (21.11.96 से 17.3.98) में वढ़ी हुई सीमा के गांव न तो हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्र में सम्मिलित रहे और न ही विनियमित क्षेत्र में। इसमें कुछ क्षेत्र नेशनल हाईवे पर था जिसमें कुछ औद्योगिक ईकाईयां हैं। इन औद्योगिक ईकाइयों द्वारा 17.3.98 के पश्चात निर्माण करने पर भी यह कहा जा सकता था कि उनके द्वारा निर्माण 21.11.96 से 17.3.98 के मध्य किया गया। अतः बोर्ड में यह प्रस्ताव ले जाया गया कि यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा 21.11.96 से 17.3.98 की अवधि में छत डालने तक का कार्य पूर्ण कर लिया है तो उस निर्माण को निर्मित मानते हुए उस निर्माण पर विकास शुल्क आदि कोई शुल्क न लिया जावे एवं उनसे विस्तार पर विकास शुल्क प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्र के अनुपालन अनुपातिक प्लॉट एरिया पर ले लिया जाए। प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि 30.11.98 तक

			अपने मानचित्र कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि 30.11.98 तक मानचित्र प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह इस प्रकार का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा। किन्तु कोई मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में किसी औद्योगिक इकाई द्वारा मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने पर धारा 27 एवं 28 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा शमन आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार शमन करने की कार्यवाही की जा रही है।
3.	मैनेजमेंट ऑडीटर्स की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।	उपाध्यक्ष द्वारा बताया कि मैनेजमेंट रिपोर्ट अभी इस माह प्राप्त हुई है तथा उस पर अभी सी.ए. से चर्चा नहीं हो सकी है। अतः प्रस्ताव स्थगित किया गया।	अनुपालन किया जा चुका है।
4.	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पांच योजनाओं की प्रगति।	प्रीत विहार व फल सब्जी मण्डी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओ के लिए अभी धनराशि की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राप्त धनराशि को सरैण्डर कर दिया जाये। जब आवश्यकता होगी तब पुनः ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अभी अनावश्यक रूप से ब्याज पड़ रहा है एवं धनराशि प्राधिकरण को मिली नहीं है पैसा सरकार के खाते में ही रहा है।	अनुपालन किया जा रहा है।

		अतः ब्याज का भुगतान प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाना चाहिये। अतः तदानुसार शासन से अनुरोध किया जाये। फल सब्जी मण्डी का नामकरण प्रीत विहार फेज-2 के नाम से किया जाये।	
5	प्रीत विहार आवासीय योजना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भू अर्जन की दरों के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव	बोर्ड द्वारा इस योजना के लिए प्राधिकरण तथा काश्तकारों के बीच जो वार्ताएं हुई हैं उनका संज्ञान लिया गया। शासनादेश द्वारा गठित समिति के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार अतिशीघ्र कराते हुए तीन दिन में अर्थात् दिनांक 9.8.2002 तक आयुक्त के अनुमोदन हेतु आख्या प्रस्तुत की जाये एवं तदोपरान्त प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक पुनः दिनांक 12.8.2002 को आयोजित की जाये। वार्ताओं के कार्यवृत्त पर संज्ञान देते हुए यह निर्णय भी दिये गये कि गांव के आस-पास मात्र उतने स्थल को जिस पर रिहायशी भवन बना है तथा जिसका उपयोग रिहायशी भाग के रूप में हो रहा हो मात्र उतने स्थल को ही अधिग्रहण से मुक्त रखने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये। अन्य किसी भाग को अर्जन से मुक्त नही किया जाये। जैसे किसी ने जगह छोड़ने के उद्देश्य से अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से कोई निर्माण किया है तो अधिग्रहण से मुक्त न किया जाये।	अनुपालन किया जा रहा है। प्रस्ताव इस बोर्ड बैठक में पुनः मद संख्या 3 पर रखा जा रहा है।

6	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को इन्फ्रास्ट्रक्चर एकाउन्ट खोले जाने से 31.3.2000 तक और मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में	खाता खोल लिया जाये तथा उसमें कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि ही जमा करायी जाये तथा शासन को तदानुसार सूचित करते हुए शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाय।	अनुपालन किया जा रहा है।
7	दिनांक 31.3.2002 के बाद निस्तारित होने वाले समस्त शमन एवं प्रस्तावित मानचित्र पर गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में लिये जा रहे सुदृढ़ीकरण शुल्क/विकास शुल्क, अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क पर 10 प्रतिशत चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।	अनुपालन किया जा चुका है।
8	विकास प्राधिकरण एवं आवास-विकास परिषद की परिसम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।	अनुपालन किया जा चुका है।
9	शासन द्वारा प्राप्त जोनिंग रेगुलेशन के अंगीकरण हेतु प्रस्ताव ।	अनुमोदित किया गया।	अनुपालन किया जा चुका है।
10	उपाध्यक्ष निवास हेतु लिये गये भवन के किराये भुगतान के सम्बन्ध में ।	दिनांक 1.4.2002 से यह सुविधा इस शर्त के साथ अनुमन्य है कि एच.आर.ए. देय नहीं होगा एवं 1.4.2002 से मूल वेतन का 10 प्रतिशत की कटौती भी की जायेगी।	अनुपालन किया जा रहा है।

11	श्री श्याम सिंह यादव सचिव को उनके बच्चों की चिकित्सा पर हुये व्यय के सम्बन्ध में।	शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।	अनुपालन किया जा रहा है।
12	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पूर्व सहायक अभियन्ता श्री रमाकान्त अग्रवाल के चिकित्सा विल सम्बन्धित प्रस्ताव रखा गया इस पर भी निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये।	अनुपालन किया जा रहा है।

मद सं0 3

प्रीत विहार योजना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूअर्जन की दरों के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव।

सप्तम बोर्ड बैठक के मद संख्या 5 पर इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया था जिस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि "शासनादेश द्वारा गठित समिति के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र कराते हुए 9.8.2002 तक आयुक्त के अनुमोदन हेतु आख्या प्रस्तुत की जाये।" शासनादेश के अनुसार गठित समिति की संस्तुति पर आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसके अनुसार प्रीत विहार योजना के अच्छेजा ग्राम के प्रभावित काश्तकारों को रु. 205/- प्रति वर्ग मीटर (दो सौ पांच) की दर से भुगतान किया किया जायेगा। शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। योजना की जो भूमि समझौते के आधार पर प्राप्त नहीं होती है, उन खसरों का अर्जन भूमि अध्याप्ति एक्ट के अनुसार किया जायेगा।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं० 4

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से